

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

संख्या- प्र०२/ल०ज०सं०/बजट/भाड़े की गाड़ी-10/26-184 /पटना, दिनांक-20/7/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

E-Mail

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में भाड़े की गाड़ी के भुगतान इकाई अन्तर्गत अति० आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष-2026-27 में लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत भाड़े की गाड़ी के भुगतान इकाई में निम्न अंकित कार्यालय को कुल-19.91 लाख रुपये (उन्नीस लाख इकानवे हजार रुपये) मात्र का अति० आवंटन दिया गया है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	कार्यालय का नाम	पूर्व आवंटन	अति० आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना (प्रबंध निदेश, भाल्को, पटना का पत्रांक-80 दिनांक-25.06.26 के आलोक में कुल-4.00 लाख रुपये शामिल है)	4.000	19.910	23.910	1. आवंटित राशि विभागीय आदेश संख्या-281-सह- पठित ज्ञापांक-5158 दिनांक-20.11.18, शुद्धि पत्र संख्या-5764 दिनांक-07.12.18 तथा आदेश संख्या-22-सह-पठित ज्ञापांक-475 दिनांक- 16.01.19 द्वारा संबंधित कार्यालय के उपयोग हेतु स्वीकृत वाहनों की संख्या के आलोक में । 2. वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागीय आदेश सं०-4153 दिनांक-24.06.26 द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु स्वीकृत वाहनों की संख्या के आलोक में ।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

- I अनुदान माँग संख्या- : 50
II मुख्य शीर्ष- : 2702-लघु सिंचाई (गैर योजना)
III उप मुख्य शीर्ष- : 02-भू-जल
IV लघु शीर्ष- : 005-अन्वेषण
V उप शीर्ष- : 0001-सर्वेक्षण एवं जाँच
VI विपत्र कोड- : 50-2702020050001
VII विषय शीर्ष : 13.10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान

3. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है । किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाई की जाय ।
4. आवंटित राशि से नियमानुसार भाड़े पर रखे गये गाड़ी पर संबंधित कार्यालय द्वारा व्यय किया जायेगा
5. आवंटित की गई राशि का भुगतान विभागीय आदेश संख्या-281-सह-पठित ज्ञापांक-5158 दिनांक-20.11.18, शुद्धि पत्र संख्या-5764 दिनांक-07.12.18, आदेश सं0-22 सह-पठित ज्ञापांक-475 दिनांक-16.01.19, विभागीय पत्रांक-5359 दिनांक- 25.07.2025 एवं पत्रांक-7453 दिनांक-08.10.25 तथा विभागीय आदेश सं0-4153 दिनांक-24.06.26 के द्वारा संबंधित कार्यालयों के उपयोग हेतु स्वीकृत वाहनों की संख्या के आलोक में विधिवत/नियमानुसार भाड़े के गाड़ी मालिक द्वारा किये गए एकरारनामा एवं संबंधित जिला पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दर की आदेश के बिना नहीं किया जाय । उक्त निदेश के संदर्भ में आवंटित राशि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।
6. आवंटित की गई राशि का भुगतान इस शर्त पर होगा की संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमानुसार वाहन मालिक से 1000 (एक हजार) के गैर न्यायिक स्टाम्प पर एकरारनामा कराकर भुगतान करेंगे ।
7. आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी ।
8. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी ।
9. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी ।
10. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय
12. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-184

/पटना, दिनांक-20/7/26

F-Mail प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिववालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/ संबंधित मुख्य अभियंता/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-184

/पटना, दिनांक-20/7/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अपर सचिव/उप सचिव/प्रबंध निदेशक, भात्को, पटना/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग को आवंटनदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव